International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 26-09-2020; Accepted: 11-10-2020; Published: 27-10-2020
www.socialsciencejournal.in
Volume 6; Issue 5; 2020; Page No. 129-131

अनुच्छेद 370 की समाप्ति और कश्मीर की वर्तमान संवैधानिक प्रस्थिति

प्रीति त्रिपाठी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सी0आर0डी0 पी0जी0 कॉलेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 370 एक ऐसा प्रलेख था जो जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता का दर्जा देता है। भारतीय संविधान के भाग (21) में लेख का मसौदा तैयार किया गया है : अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को इसकी स्थापना के बाद भारतीय संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हे राज्य में लागू किया जाना चाहिए या अनु0 370 को पूरी तरह से निरस्त किया जाना चाहिए। बाद में जम्मू–कश्मीर की विधानसभा ने राज्य के संविधान का निर्माण किया और अनु0 370 को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना ही खुद को भंग कर दिया, इस लेख को भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता माना गया।

भारत सरकारर ने 5 अगस्त 2019 को राज्य सभा में एक ऐतिहासिक 'जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019' प्रस्तुत किया जिसमे जम्मू–कश्मीर राज्य से संविधान का अनु0 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू–कमशीर और लद्दाख के दो केन्द्रशासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू–कश्मीर केन्द्रशासित क्षेत्र में अपनी विधायिक होगी जबकि लद्दाख बिना विधायिका के केन्द्रशासित क्षेत्र होगा।

कश्मीर, जो कि अतिशय सुन्दरता से परिपूर्ण भूमि हैं, भारत जम्मू एवं कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है तो पाकिस्तान इसे विवादित क्षेत्र की संज्ञा देता है। भारत का दावा ऐतिहासिक वास्तविकताओं पर आधारित है।

स्कन्द पुराण में वर्णित रेवा खण्ड के इस संकल्प श्लोक के माध्यम से इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों के पुष्ट प्रमाण मिलते है– ''जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे''।

श्रीनगर जो कि राज्य की राजधानी है, की स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा की गई थी जिन्होने घाटी में तीसरी शताब्दी पूर्व शासन किया, उसके बाद भारत के विभिन्न राजाओं एवं रानियों ने जो अलग–अलग धर्मो से थे, शासन किया था, परन्तु पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ इस ऐतिहासिक वास्तविकता को नकारते है, उनकी कश्मीर के विषय में जानकारी माध्यकाल से शुरू होती है, जब कश्मीरी बहुसंख्यक हिन्दू एकसत्तावाद में विश्वास रखता था, जो कि शैव मत बाद में इस्लाम में बदल गया जबकि भारत की कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी सभ्यता के उदय के समय से है।

''स्कन्द पुराण मे रेवा खण्ड के इस श्लोक माध्यम से इसके भौगोलिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के पुष्ट प्रमाण मिलते है–

''जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे''

जम्बू द्वीप यानी कि एशिया आर्यावर्त का तात्पर्य ईरान से है यह ऋषि कश्यप, कनिष्क और कल्हण का क्षेत्र है, केसर, कस्तूरी, कचनार का क्षेत्र है।

हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग केसरिया को केसर से ही लिया गया है।

मध्यकाल में कश्मीरी बहुसंख्यक हिन्दू एकसत्तावाद में विश्वास रखता था जो कि शैव मत का था बाद में इस्लाम में परिवर्तित हो गया जबकि भारत की कश्मीर के इतिहास विषय में जानकारी कश्मीर सभ्यता के उदय से है। विभिन्न ऐतिहासिक अनुभवों से तेरहवी शताब्दी से निर्दयी मुस्लिम एवं मध्य एशियाई प्रतिद्वन्द्वियो द्वारा दी गई कठिनाइया झेल रहे है।

भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, जो कि इतिहास को कभी धर्म की निगाह से नही देखता जबकि पाकिस्तान का जम्मू–कश्मीर के विषय में दावा जातीय जनसंख्या के सिद्धान्त पर आधारित है, जो कि भारत विभाजन की माउण्टबेटन योजना पर आधारित है।

अगस्त 1947 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। इस समय 565 देशी रियासतें भारतीय उपमहाद्वीप में थीं। 15 अगस्त 1947 में 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ तीन रिसायतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर की रिसायतों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, जिसमें जूनागढ़ की जनता ने भारत में विलय के पक्ष में अपना निर्णय दिया। नवम्बर 1949 को हैदराबाद का भी भारतीय संघ में विलय हो गया।

1947 में भारत विभाजन के समय देशी रियासतों के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्ट के तहत तीन विकल्प थे– या तो स्वतंत्र रहे, भारत में शामिल हो या फिर पाकिस्तान के साथ जाएं। उस समय जम्मू–कश्मीर के महाराजा ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, और जम्मू–कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैण्डस्टिल अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। जिसका अर्थ था कि जम्मू और कश्मीर न तो भारत में सम्मिलित होगा न ही पाकिस्तान में।

पाकिस्तान ने इस समझौते को मानने के बाद भी इसका सम्मान नही किया और उसने कश्मीर पर काबायली आक्रमण कर दिया। महाराजा हरिसिंह कश्मीर को जबरन पाकिस्तान में शामिल किए जाने के पक्ष में नही थे ऐसी स्थिति में उन्होने भारत से मद्द मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, किन्तु उससे पूर्व महाराजा हरिसिंह ने 1927 और 1935 मे जम्मू कश्मीर के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्य सूची के विषयों और उनके अधिकारों को तय किया गया था। कानून के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आने वाले प्रवासियों के विषय में भी प्रावधान किया गया था। महाराजा हरिसिंह कश्मीर में वाह्य प्रवास तथा आधिपत्य नही चाहते थे क्योंकि इससे राज्य के प्राकृतिक सौन्दर्य एवं सभ्यता आहत होने का भय था। अतः कश्मीर के रक्षा के लिए उन्होने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

जिसमें यह प्रावधान था कि जम्मू–कश्मीर भारत का हिस्सा होगा किन्तु उसे विशेष स्वायत्तता मिलेगी। इसमे स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार जम्मू–कश्मीर के लिए केवल – रक्षा, विदेशी मामले और संचार माध्यमों से जुड़े नियम ही बना सकती है।

26 अक्टूबर 1947 को इन्स्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन एक्ट पर कश्मीर के राजा हरिसिंह के हस्ताक्षर किए जिसके आधार पर

जम्मू–कश्मीर को भारत में शामिल किया गया। जम्मू–कश्मीर के भारत में विलय के पश्चात् वहाँ के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने, और पहली बार जम्मू–कश्मीर में अन्तरिम सरकार बनाने वाले नेशनल कान्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा से बाहर ही रहने के पेशकश की।

इसके बाद भारतीय संविधान में धारा 370 का प्रावधान किया गया जिसके तहत जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। यह एक अस्थाई प्रावधान था।

जम्मू–कश्मीर के प्रशासन की दिशा तय करने के लिए जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और शेख अब्दुल्ला के मध्य जून 1949 में हुई, एक मीटिंग मे भारतीय संविधान सभा मे जम्मू–कश्मीर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में 4 सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

ये सदस्य क्रमशः शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग मसूदी और मोतीराम बागड़ा थे। संविधान सभा की सहमति से अंततः भारतीय संविधान के भाग–21 में अस्थायी तौर पर अनु0 370 सम्मिलित किया गया। जिसके सभी प्रावधान अस्थायी एवं प्रवर्तनीय है।

अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया जिसके द्वारा भारतीय संसद के जम्मू–कश्मीर पर अधिकार की सीमा, संसद के किसी आदेश को जम्मू–कशमीर में लागू होने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश कैसे और किस सीमा तक लागू होगें जैसे विषयों को परिभाषित किया गया था।

1951 में जम्मू–कश्मीर राज्य की संविधान सभा का गठन किया गया जिसे राज्य के लिए अलग संविधान बनाने का दायित्व सौंपा गया। जिसने अक्टूबर 1956 में संविधान निर्माण का कार्यपूरा किया। 17 नवम्बर तक सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और साथ ही भारतीय संविधान लागू होने की प्रतीक तिथि के रूप में 26 जनवरी 1969 को लागू किया गया।

सन् 1952 में पं0 नेहरू और शेख अब्दुल्ला के मध्य एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। जिसके अनुसार जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए अलग झण्डा, सदर एवं रियासत (राज्यपाल) को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना, अनुच्छेद (52)–62 तथा 372 का लागू होना, राज्य विधान सभा के भंग होने पर राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद–356) का प्रयोग, राज्य के नागरिकों को अतिरिक्त अधिकार और रियायते आदि जैसे मुद्दे पर सहमति बनी। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इस विशेष अनु0 को समाप्त कर सकता है। वह अपने विवेकाधिकार से कुछ कानूनो को लागू कर सकता है। 1960 से वहा पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री कहा जाने लगा।

धारा 370 के संवैधानिक प्रावधान– भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान के रूप में 1951 में लागू हुआ, जो कि जम्मू–कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों में लागू है वहां नही लागू है। यह एक अन्तरिम व्यवस्था थी जो जम्मू–कश्मीर के मुद्दे के स्थायी समाधान तक जारी रहती।

- धारा 370 के अनुसार भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में जम्मू–कश्मीर के सम्बन्ध में कानून बना सकती है।
- केन्द्र सरकार राज्य विधानसभा की सहमति के बिना कोई विशिष्ट कानून नही बना सकती है। अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू–कश्मीर में सम्पत्ति या जमीन नही खरीद सकते।
- केन्द्र के पास राज्य में अनु0 360 अर्थात् वित्तीय आपातकाल नही लगाया जा सकता।
- राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। भारतीय संसद राज्य की सीमाओं को न तो बढ़ा सकती है न ही घटा सकती है।
- राज्य का अपना अलग संविधान, अलग ध्वज और दण्ड संहिता थी जिसका डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था।
- (रणबीर दण्ड संहिता) है। जम्मू– कश्मीर के प्रशासन सम्बन्धी कानून बनाने की शक्ति राज्य विधान मण्डल को है। कुछ मामलो में संसद को अनन्य शाक्ति प्राप्त है– जैसे भारत की अखण्डता या सम्प्रभुता को बाधित करने से सम्बन्धित गतिविधियों को रोकने के सम्बन्ध में ।
- निवारक निरोध से सम्बन्धित भारतीय संविधान सम्बन्धी प्रावधान वहा मान्य नही। संविधान के भाग (प्ट) (राज्य के नीति निदेशक तत्व) और भाग (टप्।) मौलिक कर्तव्य लागू नही होते है।

''डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शब्दो मे पूरे भारत में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए।'' अनु0 370 के अन्तर्गत जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने से संसद के पास जम्मू–कश्मीर के लिए संघीय सूची, समवर्त्ती सूची के तहत कानून बनाने का सीमित अधिकार है।

अनुच्छेद–35।–जम्मू कश्मीर राज्य और भारत सरकार के मध्य शक्तियों के निर्धारण के प्रयास लगातार जारी रहे। 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 में एक नया अनुच्छेद 35। जोड़ा गया। यह (इन्स्ट्रूमेंट ऑफ ऐक्सेशन एक्ट) की अगली कड़ी थी। इसी एक्ट के कारण भारत सरकार को जम्मू–कश्मीर में हस्तक्षेप के बहुत ही सीमित अधिकार प्राप्त थे, जो राज्य को स्थायी नागरिकता को तय करने का अधिकार देता है। इसके अन्तर्गत जम्मू–कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार दिए गए है।

- जम्मू–कश्मीर राज्य के बाहर का व्यक्ति राज्य में कोई अचल सम्पत्ति नहीं खरीद सकता, व्यापारिक संस्थान नही खोला जा सकता। तथा अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू–कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता।
- राज्य की किसी लड़की द्वारा राज्य के बाहर किसी लड़के से शादी करने की स्थिति में लड़की को प्राप्त सारे अधिकार समाप्त हो जायेगें। यद्यपि 2002 में जम्मू–कश्मीर के हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहां शादी करने वाली लड़की के अधिकार जीवन पर्यान्त समाप्त नही होगें।
- जम्मू–कश्मीर में रह रहे लोग जिनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नही है वे लोकसभा चुनाव में तो वोट दे सकते है पर विधान सभा एवं स्थायी निकायों में वोट देने का अधिकार उन्हे नही होगा।

जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35। को समाप्त करने की दिशा में अभूतपूर्व और युगातीत प्रयास तत्कालीन सरकार द्वारा किए गये। केवल अनु0 370 के खण्ड (प्) एक जिसमे यह प्रावधान है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, को छोड़कर शेष सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया।

अब अनुच्छेद 370 के खण्ड (प्) द्वारा जम्मू–कश्मीर को भारत के राज्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। यह विधेयक संसद के दोनो सदनो में पारित हो (लोक सभा में 370/70 और राज्य सभा मे 125/61 वोटो से) राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

जम्मू–कश्मीर को इस पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा जम्मू–कश्मीर और लद्दाख मे विभाजित कर दिया गया है। लद्दाख बिना विधान सभा वाला क्षेत्र होगा जबकि जम्मू–कश्मीर को विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार जम्मू–कश्मीर केन्द्र के सीधे नियंत्रण में रहेगा। दोनो ही

केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से प्रशासन का संचालन किया जाएगा।

इस अधिनियम में जम्मू एवं कश्मीर के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है, जिसके सदस्यों की संख्या 107 होगी, इनमे से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी। जम्मू–कश्मीर लोकसभा से (5) सदस्य तथा लद्दाख से (1) सदस्य होगा जम्मू– कश्मीर राज्य में 20 जिले होगें तथा लद्दाख में (2) जिले होगें।

अनुच्छेद 370 के हटने के पश्चात् अब वहा राज्य सभा का कार्यकाल (5)वर्ष हो गया अब वहां सूचना का अधिकार अधिनियम, आरक्षण, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व लागू होगें साथ ही भविष्य में जम्मू–कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू–कश्मीर की विधानसभा का नए सिरे से परिसीमतन किया जाएगा। व्यवसाय और रोजगार के अवसर खुलेगें तथा भू–सम्पत्ति खरीदने का रास्ता खुलेगा। महिलाओं पर लागू स्थानीय एवं व्यक्तिगत कानूनों को निरस्त किया जा सकता है। संसद या केन्द्र सरकार तय करेगी कि इसके बाद वहा भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं लागू होगी या रणबीर पीनल कोड (आर.पी.सी.) लागू होगा साथ ही यह भी तय किया जा सकता है पंचायत कानूनो में परिवर्तन किया जाए या नही।

31 अक्टूर – 2019 की मध्यरात्रि को राज्य को जम्मू–कश्मीर और लद्दाख दो केन्द्र शासित प्रदेशों मे विभाजित कर दिया जाएगा।

अलगाव वाद और आतंकवाद से लगातार जूझते जम्मू–कश्मीर के लिए यह परिवर्तन बदलाव ला सकता है क्योकि केन्द्र के सीधे नियंत्रण मे होने के कारण अलगाववादी तत्वों पर अंकुश लगाना आसान होगा।

साथ ही 28 सितम्बर को अफगानिस्तान में चुनाव होने से वहा लोकतंत्र स्थापित होगा और शांति बहाल होगी ऐसे में तालिवान सक्रिय होगा और पाकिस्तान महती भूमिका में होगा कश्मीर आतंक के लिए नई जमीन होगी और ये पेशेवर जेहादी कश्मीर की ओर रूख करेगे। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय नियंत्रण के परिणाम स्वरूप वहा सुरक्षा व्यवस्था चाक–चौबन्द होगी, आतंक वाद का कई दशको से दंश झेल रहे कश्मीर की स्थिति सुधरेगी। आतंकवाद पर लगाम लगेगी और उड़ी तथा बम्बई जैसी घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित होगा।

कश्मीर मुद्दे पर पाक की तिलमिलाहट जगजाहिर है तथा इस मुद्दे को वह अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता आया है इसमें उसका साथ साइना ने दिया किन्तु विश्व पटल पर कश्मीर मुद्दे पर भारत के प्रयासों की सराहना की गई तथा पाकिस्तान अलग–थलग पड़ गया, वह वर्षो से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है अवैध घुसपैठे, छद्म युद्ध और भ्रामक दुष्प्रचार का सहारा कश्मीर की शांति भग करने के लिए करता आया है। तथा बार–बार भारत पर परमाणु हमले की धमकी भी देता आया है–

प्रो0 श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी– ''पाक जैसे ही भारत पर हमले की कोशिश करेगा, भारत के पास ऐसी तकनीक है जो उसे वही फ्रीज कर देगा इसे न्यूक्लीयर पैरालिसिस (नाभिकीय पक्षघात) के नाम से जाना जाएगा।''

इस पुनर्गठन के पश्चात् जम्मू–कश्मीर के 150 से ज्यादा कानून अब समाप्त हो जाएगे पूरे देश में एक विधान लागू होगा भारतीय संविधान के सभी प्रावधान अपनी पूर्णता के साथ दोनो ही राज्यो पर लागू होगे।

अतः अनुच्छेद 370 की समाप्ति से भारत माता के शीश पर मुकुट विराजमान हुआ है साथ ही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति सुदृढ़ हुई है। यह निश्चित रूप से अखण्ड भारत के निर्माण की दिशा में एक अन्यय एवं सफल प्रयास है।

संवैधानिक प्रास्थिति

- केन्द्रशासित प्रदेश
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम/ आरक्षण लागू होगा।
- मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्व लागू होगा ।
- सारे भारत के संवैधानिक प्रावधान वहा लागू होगें।
- कश्मीर को भविष्य में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
- 31 अक्टूबर को कश्मीर दो भागों में बँट जाएगा। जम्मू–कश्मीर और लद्दाख।
- जम्मू–कश्मीर एक प्रांत बनेगा पर (यू0टी0) केन्द्रशासित प्रदेश रहेगा।
- जम्मू–कश्मीर में विधान सभा होगी पर सभी (यू0टी0) केन्द्रशासित प्रदेश ही रहेगा (कुछ समय के लिए ही यह व्यवस्था लागू रहेगी) ।
- लद्दाख मे (यू0टी0) केन्द्रशासित प्रदेश रहेगा।
- जम्मू–कश्मीर की विधान सभा का नए सिरे से परिसीमन होगा।
- केन्द्र शासित प्रदेश होने से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरूस्त होगी जिन राज्यों मे (यू0टी0) केन्द्रशासित प्रदेश है वहा सुरक्षा अति उत्तम है सीधे केन्द्र का नियन्त्रण है।

सन्दर्भ सूची

1. इण्डिया टुडे – सितम्बर 2019
2. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल – सितम्बर 2019
3. प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2019
4. प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर 2019
5. सिविल सर्विसेज क्रानिकल जून 2019
6. सिविल सर्विसेज क्रानिकल अक्टूबर 2019
7. दैनिक समाचार पत्र
8. हिन्दुस्तान समाचार पत्र
9. नवभारत टाइम्स समाचार पत्र
10. परीक्षा मंथन
11. राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र
12. अमर उजाला समाचार पत्र
13. आज समाचार पत्र